**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1552**

**जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है**

**कोयला ग्रेड का तृतीय पक्ष द्वारा नमूना लिया जाना**

**1552. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा नमूना लिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस तीसरे पक्ष द्वारा उच्च कोटि के कोयले का निम्न ग्रेड के कोयले के रूप में विश्लेषण/प्रदर्शन करने के षड्यंत्र की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कोल इंडिया को उच्च कोटि के कोयले को निम्न कोटि का दर्शाने के कारण होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार इस महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) :** कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.11.2015 को तृतीय पक्ष नमूनाकरण और लदान स्थल पर कोयले के विश्लेषण के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई। कोयले का नमूनाकरण स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों (टीपीएसए) के माध्यम से किया जाता है। कोल इंडिया लि. भी स्वतंत्र टीपीएसए के माध्यम से कोयले का तृतीय पक्ष नमूनाकरण संचालित कर रही है।

**(ख) से (घ) :** कोयला मंत्रालय को उच्च ग्रेड के कोयले को निम्न ग्रेड के कोयले के रूप में दर्शाने के ऐसे किसी षड्यंत्र की जानकारी नहीं है।

****